

राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान
डॉ. के एस कृष्णन मार्ग, नई दिल्ली - 110 012
14, सत्संग विहार मार्ग, नई दिल्ली - 110 067

सं.3/26/2016-आर एंड ए

19/02/2020

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: सीएसआईआर के पत्र सं 5-1(17)/2008-पीडी दिनांक 15-02-2011 के द्वारा वितरित डीओपीटी का.ज्ञा.सं.35034/3/2008-Estt.(D) के अनुसार केन्द्रीय कार्यालयों में स्थित गैर तकनीकी ग्रुप 'बी' एवं 'सी' कार्मिकों के लिए मोडीफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (एमएसपीपी)।

मोडीफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के अनुरूप किसी भी कार्मिक के सम्पूर्ण कार्यालयी सेवा कैरियर में एमएसपीपी योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रौत्रति कार्मिक के सीधे भर्ती में नियुक्ति के समय के वेतनमान से नियमित पदोत्रति के विरुद्ध गिने जाएंगे। इसका अर्थ है कि एमएसपीपी योजना के अन्तर्गत कार्मिक को तीन वित्तीय प्रौत्रति दी जाएगी यदि निर्धारित अवधि (10, 20, 30 वर्ष) के दौरान उसे कोई नियमित पदोत्रति प्राप्त न हुई हों। यदि किसी कार्मिक को पहले ही एक नियमित पदोत्रति प्राप्त हो गयी है, वह द्वितीय वित्तीय प्रौत्रति के लिए एमएसपीपी योजना के अन्तर्गत 10 वर्ष की नियमित सेवा के पूर्ण होने के पश्चात ही योग्य माना जाएगा। किसी कार्मिक को नियमित आधार पर पहले ही तीन पूर्व पदोत्रति प्राप्त होने की दशा में एमएसपीपी योजना के अन्तर्गत कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।

तदनुसार, 02 गैर तकनीकी ग्रुप B एवं 02 गैर तकनीकी ग्रुप C (भूतपूर्व ग्रुप D) कार्मिक जिन्होंने दिनांक 31-03-2020 तक वर्तमान वर्तमान ग्रेड में 10, 20 अथवा 30 वर्ष अथवा उससे अधिक की सर्विस पूर्ण कर ली है, की अस्थाई पात्रता सूची एमएसपीपी योजना के अन्तर्गत विचार हेतु तैयार की गयी है जिसका अर्थ मात्र अगली उच्चतर ग्रेड पे/वित्तीय प्रौत्रति देना है। यद्यपि, यह योजना पदोत्रति योजना नहीं है, अतः इस उद्देश्य के लिए कोई वरिष्ठता मान्य नहीं होगी बल्कि वर्तमान ग्रेड में निर्धारित वर्षों की पूर्णता ही मान्य होगी:-

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	सीधी भर्ती के अन्तर्गत प्रारम्भिक नियुक्ति की तिथि	10/20/30 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात वित्तीय प्रौत्रति के लिए योग्यता की प्रभावी तिथि पे-बैंड तथा ग्रेड-पे	वह तिथि जिससे अगला वित्तीय उन्नयन स्वीकार्य हो, उसका वेतनमान / स्तर (चाहे 10/20/30 वर्ष पूरा हो या 10 वर्ष के लिए एकल श्रेणी में ठहराव)	टिप्पणी / Remark
1.	श्री अनिरुद्ध मानवल सहा° अनु° अधि°(सा°)	सहा° (सा°) ग्रेड I Rs. Rs. 5500-9000 14/09/1999	I st MACP granted Rs. 9300-34800+ GP Rs. 4800/- w.e.f. 14/09/2009	Eligible Due w.e.f. 14/09/2019 9/1 IInd MACP	
2.	श्रीमती शलिनी भटनागर, वरि° आशुलिपिक	कनिष्ठ आशुलिपिक Rs. 1200-2040 30/08/1988	II nd MACP granted Rs. 9300-34800+ GP Rs. 4800/- w.e.f. 01/09/2008	Eligible Due w.e.f 30/08/2018 9/1 IIIrd MACP	
3.	श्री सत्यनारायन, एमटीएस	फ़राश Rs. 750-940 12/01/1987	II nd MACP granted Rs. 5200-20200 with grade pay Rs. 1900/- 01/09/2008	Eligible Due w.e.f 07/07/2017* 3/1 IIIrd MACP	
4.	श्री किशन कुमार, एमटीएस	जूनियर सुरक्षा गार्ड Rs. 750-940 14/04/1987#	II nd MACP granted Rs. 5200-20200 with grade pay Rs. 2000/- 19/11/2009**	Eligible Due w.e.f 26/11/2019# 4/1 IIIrd MACP	

* Dies –Non period (1) 11/11/92 – 8/02/93[90 days] & (2) 17/4/95 – 11/4/95 [86 days] Total 176 days

#Dies –Non period (1)2/11/2001-06/06/2004 [2yrs.7mon.5days], (2) 06/02/92, 13/02/92 & 14/02/92 [3 days] and (3) 07/06/93 to 08/06/93 [2days] +4 days late attendance, Total 957 days

**To be revirewd by MACP Committee

निस्केयर के दोनों परिसरों के सभी विभागाध्यक्षों/अनुभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों को इस कार्यालय ज्ञापन से अवगत करावें।

वे जिन्हें ऐसा लगता है कि उनका नाम इस सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। यद्यपि उन्होंने 10/20/30 वर्ष अथवा अधिक की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है अथवा वर्तमान ग्रेड में कार्य करते हुए 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं अथवा उनकी नियुक्ति तिथि ठीक नहीं दिखाई गयी है अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटि है, के विषय

में वे इस कार्यालय को 29/02/2020 तक अवश्य सूचित करें अन्यथा यह माना जाएगा कि उपरोक्त स्टाफ सदस्यों की श्रेणी में अन्य कोई व्यक्ति दिनांक 31-03-2020 तक एमएसीपी योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रौत्रति के विचारार्थ योग्य नहीं है।



(वीना जैन)
 प्रशासन नियंत्रक

प्रतिलिपि:

1. सभी सम्बन्धित व्यक्ति (जिन कार्मिकों ने अपनी एसीआर प्रस्तुत नहीं की है, वे एमएसीपी के अन्तर्गत उनके केस पर विचार करने में देरी के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे)
2. सभी सूचना पट्ट (पूसा तथा एस वी मार्ग)
3. सभी अनुभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष - सूचनार्थ और अपने अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों के मध्य सूचना देने के लिए
4. सम्बन्धित सहायक (एसीआर)
5. प्रमुख, आईटी - निस्केयर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
6. अनुभाग अधिकारी (स्थापना)

क्र.सं.	नाम	पद	वर्ग	श्रेणी	मार्ग	मिति
1
2
3
4